न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : मयंक मनीष, I.A.S.

पत्रावली संख्या : **118/18 (प्रा0पत्र)**

GCMS No. : 2018/00444

अनवान्

1. श्री गोपाल पिता भेरा कलाल निवासी सिन्दु हाल डबोक तह. मावली।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री भेरा पिता काना कलाल निवासी सिन्दु तह. मावली।
2. श्री लक्ष्मीलाल पिता भेरा कलाल निवासी सिन्दु तह. मावली।
3. उप पंजीयक अधिकारी मावली, तह. मावली।
4. पटवारी, पटवार हल्का सिन्दु तह. मावली।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री नितिन मण्डोवरा, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री पंकज चौधरी, अधिवक्ता विपक्षी सं. 2

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक :– 13.08.2021

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा सिन्दु पटवार हल्का सिन्दु के परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 712, 715, 716, 720, 3177/714, 3178/714, 3179/721, 3180/722, 3181/723, 3182/726, 3183/729 किता 11 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान में विपक्षी सं. 1 के नाम पर स्वतन्त्र रूप से राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 3207/727 रकबा 12 बीघा 6 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान में विपक्षी सं. 1 के नाम पर स्वतन्त्र रूप से राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। परिशिष्ट स में वर्णित आराजी नम्बर 713, 725 किता 2 रकबा 13 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान में विपक्षी सं. 1 के नाम पर 1/2 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.09.15 12:18:50 IST
Reason: SelfAttested

2. यह कि हम उभय पक्षकारान का सजरा खानदान निम्न प्रकार है :–

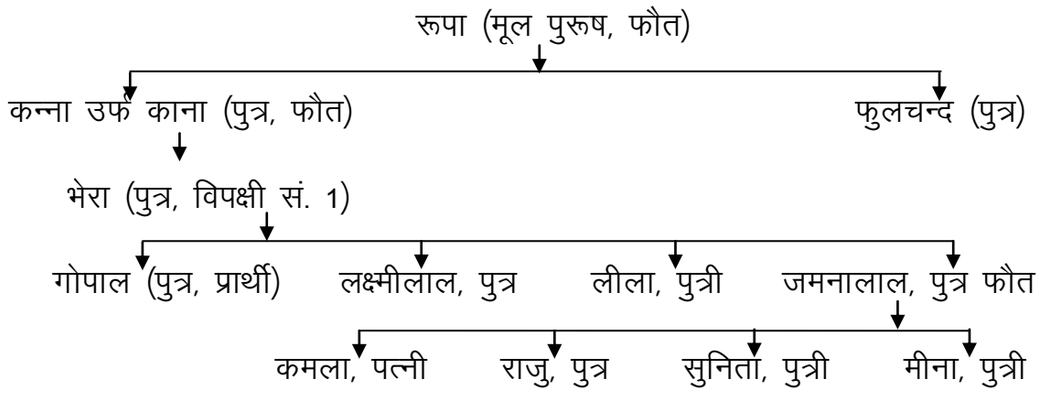

उक्त सजरे अनुसार हमारे मूल पुरूष रूपा जी थे जिनके दो पुत्र काना एवं फुलचन्द हुए। काना के एक पुत्र भेरा हुआ। भेरा के तीन पुत्र गोपाल (प्रार्थी), लक्ष्मीलाल, जमनालाल एवं पुत्री लीला हुई। पुत्र जमनालाल का निधन हो चुका है जिनके वारिस पत्नी कमला, पुत्र राजु, पुत्रीयां सुनिता, मीना है जो सभी जीवित होकर इस प्रार्थना पत्र में पक्षकार हैं।

3. यह कि उक्त वर्णित आराजीयात पूर्व में हमारे मौरूस कन्ना उर्फ काना, फुलचन्द पिता रूपा के नाम दर्ज थी तथा कन्ना उर्फ काना का देहावसान के पश्चात् विरासत से उनके पुत्र विपक्षी सं. 1 भेरा के नाम पर अंकित हुई है तथा उक्त सामलाती भूमि के सहखातेदारान के मध्य उक्त भूमि का बंटवाडा होने से उक्त वर्णित पैतृक कृषि भूमि विपक्षी सं. 1 के हिस्से पांती में आयी जो वर्तमान में विपक्षी सं. 1 के नाम पर स्वतन्त्र रूप से अंकित हैं जिससे उक्त वर्णित आराजीयात हमारी पैतृक सम्पति है जिसमें मुझ प्रार्थी को जन्म से हक अधिकार प्राप्त हो चुके है और इन भूमियों में अपने पिता विपक्षी सं. 1 के नाम पर दर्ज हिस्सा भूमि में 1/5 हिस्सा भूमि पर मैं प्रार्थी काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहा हूं।

4. यह कि उक्त वर्णित भूमि पर मुझ प्रार्थी का अपने हिस्सेनुसार कब्जा चला आ रहा है तथा मैं प्रार्थी अपने हिस्सा भूमि पर काबिज हो काश्त करता आ रहा हूं जिसमें अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक व अधिकार नहीं है लेकिन वर्तमान में उक्त भूमि विपक्षी सं. 1 के नाम पर दर्ज है जो सोचने समझने की माकूल स्थिति में नहीं है और विपक्षी सं. 1 पुरी तरह से विपक्षी सं. 2 के वश में है जिस वजह से विपक्षी सं. 2 कुलिया भूमियों को विपक्षी सं. 1 के मार्फत खुर्द बुर्द कराने पर आमादा है और विपक्षी सं. 1 भी वृद्वावस्था एवं मानसिक स्थिति सही नहीं होने की वजह से वह इस भूमि को विपक्षी सं. 2 के बहकावे में आकर खुर्द बुर्द करना चाहता है और मुझ प्रार्थी को मेरे हिस्से कब्जे की भूमि से वंचित कर बेदखल करना चाहता है मुझ प्रार्थी को मेरी पैतृक सम्पति से

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.09.15 12:19:50 IST
Reason: SelfAttested

वंचित करने एवं हडपने की गरज से विपक्षी सं. 1 से विपक्षी सं. 2 ने अपने पक्ष में पैतृक कृषि भूमि का एक फर्जी वसीयतनामा भी तैयार करवाया जो मुझ प्रार्थी के मुकाबले स्वतः ही शून्य एवं निष्प्रभावी हैं जबकि विपक्षी सं. 1 को उनके नाम दर्ज सम्पूर्ण हिस्सा भूमि को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित करने का कोई हक व अधिकार नहीं है और न ही विपक्षी सं. 1, 2 को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार हैं। इसलिए मैं प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित पैतृक कृषि भूमि में विपक्षी सं. 1 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में अपने नाम 1/5 हिस्सा भूमि खातेदारी हक की घोषित करा राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने का अधिकारी हूं। इसलिए माननीय न्यायालय आपमें वाद पत्र प्रस्तुत कर दिया हैं।

5. यह कि मुझ प्रार्थी का प्राइमाफैसी केस है क्योंकि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि हमारी पैतृक कृषि भूमि है जिसमें मुझ प्रार्थी को जन्म से ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् अधिकार प्राप्त हो गये है तथा मैं प्रार्थी अपने हक हिस्सेनुसार भूमि पर काबिज हो काश्त करता आ रहा हूं किन्तु जमीन वर्तमान में विपक्षी सं. 1 के नाम पर रेकार्ड में दर्ज है और विपक्षी सं. 1 के सोचने समझने की अवस्था में नहीं होने का फायदा उठाकर विपक्षी सं. 2 ने विपक्षी सं. 1 को अपने वश में कर रखा है और विपक्षी सं. 1 से इस जमीन को हस्तान्तरित करा खुर्द बुर्द करने के भरसक प्रयास कर रहे है और विपक्षी सं. 1 भी इनका पूर्ण सहयोग कर रहा है और मुझ प्रार्थी को मेरे जायज हक व अधिकारों से वंचित करने एवं मेरे हिस्से कब्जे की भूमि से मुझे बेदखल करने पर आमादा है और विपक्षी सं0. 1 ने दिनांक 26.07.2018 को विपक्षी सं. 2 के सिखावें व बहकावे में आकर धमकी दी कि मैं इस जमीन को बेच रहा हूं तुम अपना कब्जा हटा लेना वरना खरीददार लाठी के बल पर जोर जबरदस्ती तुम्हे बेदखल कर देगे। इसलिए मैं प्रार्थी विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूं कि विपक्षी सं. 1, 2 मुझ प्रार्थी को अपने हिस्से भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, अन्य को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने किसी नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावें। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं हैं बल्कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से मुझ प्रार्थी को भारी क्षति होगी और उसका मूल्यांकन रूपयों पैसों में किया जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी मुझ प्रार्थी के पक्ष में हैं।

6. यह कि मुझ प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 26.07.2018 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी सं. 1 ने विपक्षी सं. 2 की बहकावट व सिखावट में आकर उक्त जमीन हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द करने व मुझ प्रार्थी को बेदखल करने की धमकी दी तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर है। अतः प्रार्थना है कि मुझ प्रार्थी के पक्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.09.15 12:18:50 IST
Reason: SelfAttested

में एवं विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में विपक्षी सं. 1 अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि में प्रार्थी को अपने हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, प्रार्थी को बेदखल नहीं करे, कब्जा नहीं करे, विपक्षी सं. 1 के नाम दर्ज भूमि को विपक्षी सं. 2 विपक्षी सं. 1 को बहकावे में लेकर रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करावे, न स्वयं विपक्षी सं. 1 हस्तान्तरित करे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावें, राजस्व रेकार्ड में एवं मौके की यथावत् स्थिति बनाये रखें। विपक्षी सं. 1 उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन कराने हेतु प्रस्तुत करे तो ताफैसला मूल वाद विपक्षी सं. 3 पंजीयन नहीं करे व विपक्षी सं. 4, 5 ताफैसला मूल वाद राजस्व रेकार्ड की यथावत् स्थिति बनाये रखें।

7. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 फौत है, जिसके वारिस पूर्व से ही रेकार्ड पर हैं। विपक्षी सं. 2 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि मेरा भाई गोपाल पिता भेरा आये दिन मुझे जमीन बेचने हेतु रोज परेशान करता है मेरे पास आराजी नम्बर 712 से लगा कर 727 तक जमीन है जो बेचना चाहता है उसकों मैं व मेरे पिताजी नहीं बेचना चाहते है पहले भी मेरी जमीन बडा बाडा जिसका हमारे फुकाजी श्री देवीलाल जी टांक ने बंटवारा किया तो बंटवारे के 6 माह बाद श्री गोपाल ने श्री वरदा जी डांगी को उनके हिस्से का बेच दिया। मेरे बडे भाई स्व. श्री जमनालाल जी के लडके राजु ने उसके हिस्से में मकान बना लिया और मेरे हिस्से का मैने भी बेच दिया तो मेरे भाई श्री गोपाल ने मुझे कहां कि मैने एक प्लॉट खरीदा डबोक मैं तो मुझे पॉच लाख रूपये उधार चाहिए एक माह में वापस लौटा दुंगा उस समय मैं तुझे तेरा मकान पालीवाल कॉलोनी डबोक वाला जो तेरा ही है वो भी तुझे दे दुंगा तेरी उम्र कम थी तो पंचायत से मैने मेरे नाम पर करवा दिया और डबोक में जो सामलाती दुकान है तो उसका हिस्सा भी तुझे और भतीजे राजु को दे दुंगा तो उसकी बातों में आकर मैने उसे पांच लाख रूपये उधार दे दिये जिसके बाद पैसे मांगने पर मुझसे मारपीट की व मेरी मॉ के साथ भी मारपीट की व आये दिन झगडा करता रहता है जिससे मैं काफी डरा डरा रहता हूं। मुझे उससे जान माल का खतरा हैं।

8. यह कि मेरा पुरा परिवार आम्बावेरी डबोक रहते थे उस समय हमने तीन प्लॉट लिये तो एक मेरे बडे भाई श्री जमनालाल जी का था एक श्री गोपाल का और मुझ लक्ष्मीलाल का था जो आज भी है तो गोपाल ने जमनालाल जी के साथ मारपीट कर जमनालाल जी को मुम्बई भगा दिया और 6 वर्ष बाद में मुझे भी भगा दिया और दो प्लॉट बेच दिये जो श्री गोपाल और जमनालाल जी के थे [illegible] मुझ लक्ष्मीलाल का प्लॉट व मकान आज भी है जो श्री गोपाल ने हडप रखा है व दुकान [illegible] हडप रखी है उसके बाद श्री जमनालाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.09.15 12:18:50 IST
Reason: SelfAttested

जी कुछ वर्षों बाद आये तो उनसे मारपीट की तो उन्होने सदमें में आकर आत्महत्या कर ली इसी तरह से ये समाज के लोगों को भी परेशान करता है, श्री गोपाल की पत्नी मेरी भाभी कैलाशबाई मेरी मॉ के चांदी के कडे लेकर भाग गई और मेरे भाई गोपाल ने भी भेसे बेच दी व जेवरात सब बेच दिये और बाजुन्दा में जो चक्की थी उसे बेच कर भी रूपये ले गया और मेरी मॉ की डेड किलों चांदी की कडीया जो उदयपुर में बेच के कुछ पैसे उसने रख लिये बचे जो पैसे से वो एक कम्प्रेशर लाया जो आज भी उसके पास डबोक दुकान पर चल रहा हैं। सांगवा में उसकी मासी सास उसके साथ भी मारपीट की व उसके काफी जर जेवर हडप लिये व रोकडे रूपये लाखों की संख्या में थे वो भी हडप लिये व उसकी जमीन नाम पर करवा ली इसी तरह से उसका बडा बेटा ससुराल वाले से काफी दहेज मांगता है देबारी में उनकी दुकाने है वो मांगता है दहेज व रूपये नहीं देने पर उसके साथ मारपीट करके भगा दी जो आज भी उसके पीहर में रह रही है और दिनांक 26.07.2018 को मावली कोर्ट के बाहर श्री गोपाल व उसके दोनो पुत्र सुनिल व अनिल ने मेरे साथ और मेरी मॉ के साथ मारपीट की जिसकी वजह से मुझे व मेरी मॉ को काफी चोटे आई जिसके सम्बन्ध में थाना मावली में रिपोर्ट दर्ज करवाई व मावली कोर्ट में मुकदमा चल रहा हैं। मेरी मॉ व मेरे पिताजी बुजर्ग होने से 30 वर्षों से बीमार रहते है व कोई काम नहीं कर सकते है जिनका दवाईयों का एक हजार रूपया रोज का खर्चा हैं। जिसका खर्चा मुझे उठाना पड रहा हैं जिसमें काफी रूपये समाज व गांव से उधार लाकर करना पड रहा हैं। मेरे उपर काफी कर्जा होने के कारण में बहुत परेशान रहता हुं। अतः मेरे उपर लगाए गये आरोप झूठे है मुकदमा नम्बर 118 / 18 को निरस्त करने की कृपा करें।

9. हमने प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षी सं. 2 द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

10. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक हैः–

1. *<u>प्रथम दृष्टया मामला–</u>* प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि पूर्व में प्रार्थी के पिता भेरा के नाम दर्ज थी जो विरासत से उनके वारिसान के नाम दर्ज हो चुकी हैं। प्रकरण में प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 2 दोनों ही खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.09.15 12:18:50 IST
Reason: SelfAttested

पक्ष में साबित नहीं होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

2. *सुविधा का संतुलन* – चूंकि वाद वर्णित भूमि का खातेदार प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 2 है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध साबित हुआ हैं। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्ध साबित होता है। अतः उक्त बिन्दु प्रार्थी के विरूद्ध में निर्णित किया जाता है।

3. *अपूरणीय क्षति–* चूंकि वाद वर्णित भूमि का खातेदार प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 2 है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किये जाने से अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

11. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। वाद वर्णित भूमि पूर्व में विपक्षी सं. 1 भेरा पिता काना के नाम दर्ज थी। प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 2 दोनो ही विपक्षी सं. 1 भेरा के पुत्र हैं। प्रार्थी द्वारा अपनी पैतृक भूमि में घोषणा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र लगाया हैं। प्रकरण में वर्तमान में विपक्षी सं. 1 भेरा की मृत्यु हो चुकी हैं। भेरा की मृत्यु हो जाने से वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण भेरा के वारिसों के नाम स्वीकृत हो चुका हैं। वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी व विपक्षी सं. 2 दोनों ही खातेदार काश्तकार हैं। खातेदार काश्तकार होने से प्रार्थी के प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती हैं। विपक्षी सं. 2 खातेदार होने से खातेदार को अपनी भूमि के उपयोग–उपभोग का पुरा अधिकार है। प्रकरण में खातेदार के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो खातेदारों को अपूरणीय क्षति होगी। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किये गये है। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि से तय किये जावेगे। उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया किया जाता है। पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा हटाई जाती हैं। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.09.15 12:18:50 IST
Reason: SelfAttested

(मयंक मनीष I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली